

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

मिसल नम्बर
72/2016/प्रा.पत्र/2016

तारीख दायरा
09.11.2016

कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.
तारीख निर्णय
15.03.2019

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

बनाम

..... प्रार्थी

- 1-श्री गिरिराज मोहन पारीक पुत्र मदन मोहन पारीक जाति ब्राहमण निवासी जी-18 भगतसिंह कॉलोनी निवाई जिला टोंक विक्रेता मैसर्स पारीक टी कम्पनी बडा बाजार निवाई जिला टोंक
- 2-श्री प्रहलाद पारीक पुत्र मदन मोहन पारीक निवासी जी-18 भगतसिंह कॉलोनी निवाई जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स पारीक टी कम्पनी बडा बाजार निवाई जिला टोंक
- 3- मैसर्स पारीक टी कम्पनी बडा बाजार निवाई जिला टोंक

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26
की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

..... अप्रार्थी

उपस्थित-

- 1-प्रार्थी की ओर से श्री सत्यनारायण गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
- 2-अप्रार्थी उपस्थित

:-निर्णय:-

दिनांक 15.03.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.07.2016 को समय 1.30 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स पारीक टी कम्पनी बडा बाजार निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। एफ.बी.ओ. गिरिराज मोहन पारीक प्रोपरायटर प्रहलाद पारीक मैसर्स पारीक टी कम्पनी बडा बाजार निवाई जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का प्रोपरायटर प्रहलाद पारीक को होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना स्वीकार किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में चाय पारीक ब्राण्ड पॉली पैक (Tea Pareek Brand Poly Pack) रखी हुई थी, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री खेमचन्द को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता खेमचन्द जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान में चाय पारीक ब्राण्ड पॉली पैक (Tea Pareek Brand Poly Pack) रखे हुये 30 नगो मे से 250-250 ग्राम के 8 नग का चयन किया। वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये 250-250 ग्राम के 8 नग को वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री गिरिराज मोहन पारीक को रू0 440/-अक्षरे चार सो चालीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा चाय पारीक ब्राण्ड पॉली पैक (Tea Pareek Brand Poly Pack) 8 नग को अलग-अलग 2-2 पैकेट के चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग को अलग-अलग साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बो मे अच्छी तरह एयरटाईट कर बन्द कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-1398 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

750



35

चारो नमूना भागो को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-1398 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी. ओ. गिरिराज मोहन पारीक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./16/3633 दिनांक 15.09.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/409/एक्ट/2016/459 दिनांक 28.07.2016 अनुसार गिरिराज मोहन पारीक से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया चाय पारीक ब्राण्ड पॉली पैक (Tea Pareek Brand Poly Pack) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zf) (C) (i) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-branded) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का चाय पारीक ब्राण्ड पॉली पैक (Tea Pareek Brand Poly Pack) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अप्रार्थी प्रहलाद पारीक ने अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस चाय पारीक ब्राण्ड पॉली पैक (Tea Pareek Brand Poly Pack) का विक्रय कर रहा था वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया चाय पारीक ब्राण्ड पॉली पैक (Tea Pareek Brand Poly Pack) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी गिरिराज मोहन पारीक को सुना गया। उसे भविष्य में तय मानको के मुताबिक ही खाद्य पदार्थ विक्रय करने हेतु पाबन्द किया जाता है। अप्रार्थी प्रहलाद पारीक के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49) के तहत अप्रार्थी श्री प्रहलाद पारीक पुत्र मदनमोहन प्रोपरायटर मैसर्स पारीक टी कम्पनी बडा बाजार निवाई जिला टोंक राज0 निवासी भगत सिंह कॉलोनी निवाई जिला टोंक राज0 पर शास्ती 5,000/- (अक्षरे पाँच हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 15.03.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्यायालय अतिरिक्त जिला टोंक राजस्थान
अतिरिक्त जिला टोंक राजस्थान
टोंक-राज0